न्यायालयः– जिला न्यायाधीश, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी	:–	**नाहर सिंह मीणा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
दीवानी मूल अपील प्रकरण संख्या	:–	**48/2019**
सी.एन.आर. नंबर	:–	**RJDK010010412019**

किशनलाल दत्तक पुत्र स्व. मंगाराम, उम्र 47 वर्ष, निवासी सिंघीबास, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।

–अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान सिंह चौहान पुत्र बुद्धदेव माली, निवासी सिंघीबास, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।
2. हबीब खां पुत्र सोडू खां, निवासी सूपका, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।
3. राजकुमार सांखला पुत्र रमेशचन्द सांखला, निवासी आडकाबास, हाल सिंघीबास, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.।
4. श्रीमती धन्नी देवी स्व. मंगाराम, निवासी सिंघीबास, डीडवाना के वारिसानः–
   - 4/1 सीता पत्नी स्व. गीगाराम पुत्री धन्नी देवी, निवासी कुडली, तहसील डीडवाना
   - 4/2 चंपा पत्नी सुगन सिंह सिंगोदिया पुत्री स्व. धन्नी देव, निवासी आडकाबास, डीडवाना
   - 4/3 मुन्नी देवी पत्नी माणकचंद पुत्री धन्नी देवी, निवासी आडकाबास, डीडवाना
   - 4/4 संतोष पत्नी रमेश कुमार सांखला, निवासी आडकाबास, डीडवाना।

–प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.11.2019 द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना, पीठासीन अधिकारी नारायण प्रसाद (आर.जे.एस.) द्वारा दीवानी मूल वाद सं. 41/2017 बउनवान किशनलाल बनाम हनुमानसिंह में पारित किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री समंदर सिंह व श्री रामगोपाल अग्रवाल, विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री मोहम्मद अली शेरानी, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से ।
3. श्री ओमप्रकाश मोट व श्री कमल मोट, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1, 3 व 4 की ओर से।

– आदेश –

दिनांक 29.04.2026

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी किशनलाल द्वारा प्रत्यर्थीगण हनुमान सिंह वगैरह के विरूद्ध, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, डीडवाना (जिसे आगे निर्णय के दौरान विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा) द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं. 41/2017 बउनवान किशनलाल बनाम हनुमान सिंह वगैरह में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 07.11.2019 से व्यथित होकर

इस न्यायालय में दिनांक 04.12.2019 को प्रस्तुत की गई है ।

2. अपीलार्थी के अनुसार हस्तगत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी/वादी की ओर से विचारण न्यायालय में वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वादी प्रतिवादिया धन्नी देवी व स्व. मंगाराम का दत्तक पुत्र है। वादी के प्राकृतिक पिता मालाराम व माता श्रीमती तुलसी देवी है, जिन्होंने वादी को जब उसकी आयु आठ वर्ष की थी, धन्नी देवी व स्व. मंगाराम को गोद दिया। इस दत्तक के संबंध में धन्नी देवी ने कालांतर में दिनांक 23.04.2008 को पंजीकृत गोदनामा भी निष्पादित किया। वाद से प्रश्नगत सम्पतियां स्व. मंगाराम की पैतृक हैं। स्व. मंगाराम व धन्नीदेवी की पैतृक सम्पतियों में एक आवासीय मकान मौहल्ला सिंघीबास में अवस्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादी किशनलाल व उसके दत्तकग्रहिता माता–पिता (मंगाराम व धन्नीदेवी) का है तथा शेष 1/2 हिस्सा मंगाराम के दूसरे भाई मालाराम का है। यह आवासीय मकान वादी का पैतृक पुश्तैनी है किन्तु इस पैतृक सम्पति का धन्नीदेवी ने अवैध व शून्य एक तथाकथित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 29.04.10 पंजीयन तारीख 30.04.10 को वादी के हकूकों की परवाह किये बिना प्रतिवादी राजकुमार सांखला के पक्ष में फौरी तौर पर कर दिया, जो वादी के हितों पर निष्प्रभावी व शून्य है। वादी की अन्य पैतृक पुश्तैनी सम्पतियों में कृषि भूमि ख.नं. 2257, 2258 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा में 1/2 खातेदारी दो भाईयों स्व. मगा व माला की थी जिसमें 1/4 हिस्सा मंगा व 1/4 हिस्सा माला का है किन्तु वादी की दत्तक ग्रहिता माता ने प्रतिवादी हनुमानसिंह से मिलकर षड्यंत्र के तहत चुपके–चुपके उक्त पैतृक कृषि भूमि 1/4 का तथाकथित बेचाणनामा दिनांक 26.02.10 पंजीयन दिनांक 30.04.10 को फौरी तौर पर प्रतिवादी हनुमान सिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिया जो वादी के हक अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है। इसी प्रकार कृषि भूमि ख.नं. 1825 व 1831 में 1/2 खातेदारी स्व मंगाराम के नाम की पैतृक कृषि भूमि का फौरी तौर पर पंजीकृत बेचाणनामा दिनांक 13.01.1987 को षड्यंत्र के तहत प्रतिवादी हबीब खां ने प्राप्त कर लिया तथा उस पर प्रतिवादी सं.5 एस.बी.आई. बैंक से ऋण भी प्राप्त कर लिया। इसी तरह पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 1756 में अवस्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा मालाराम का व 1/2 हिस्सा स्व. मंगाराम का था जिसमें वादी किशनलाल व प्रतिवादी धन्नीदेवी का बराबर–बराबर हिस्सा है, किन्तु प्रतिवादिया ने वादी के हक हकूकों व उत्तराधिकार अधिकारों की चिंता किये बिना उक्त सम्पूर्ण 1/2 भाग अविधिक व अनाधिकृत तौर पर एक फौरी बेचाणनामा दिनांक 29.04.10 पंजीयन दिनांक 30.04.10 द्वारा धन्नी देवी बहक राजकुमार के करा दिया। उक्त सभी कृषि भूमियां व मोहल्ला सिंधीबास में अवस्थित आवासीय जायगा वादी व प्रतिवादिया धन्नीदेवी की संयुक्त कब्जे व सह–स्वामित्व की है तथा अविभाजित है और स्व. मंगाराम के देहान्त उपरांत संपत्तियों पर बतौर उत्तराधिकार व विधिक वारीसान मां व बेटे दोनों का सह स्वामित्व है और बतौर कर्ता खानदान वादी का कब्जा है। धन्नीदेवी ने चुनौतिग्रस्त बेचाननामों में दो विकयपत्र अपने दोहिते के नाम पूर्णतः फौरी तौर पर वादी को नुकसान पहुंचाने की गरज से बिना प्रतिफल निष्पादित किये तथा प्रतिवादी हनुमानसिंह ने भी धन्नीदेवी से सांठ गांठ करके मात्र वादी को येन केन प्रकारेण विधिक अधिकारों से वंचित करने के लिए बिना प्रतिफल निष्पादित कराया। सभी बेचाणनामे नुमायशी बिना प्रतिफल व बिना कब्जा सुपुर्द किये मात्र औपचारिक तौर पर

निष्पादित किये व कराये गये जो प्रथम दृष्टया ही शून्य, अवैध एवं वादी के हितों पर बेअसर है। संपत्तियां अभी अविभाजित है तथा संयुक्त कब्जे की है। इन विक्रय पत्रों की जानकारी वादी को नहीं होने दी तथा वादी द्वारा धन्नीदेवी व क्रेताओं से मिलने पर उन्होंने किसी भी प्रकार के बेचाणनामों से इनकार किया। पटवारी से मिलने पर बेचाणनामों की जानकारी व ज्ञान हुआ तथा यह ज्ञान वादी को हाल ही में माह दिसंबर, 2014 में हुआ। अंत में वादी का वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

3. वादी के उक्त वादपत्र का प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रकरण में जायदाद धन्नी देवी के हक अधिकार व स्वामित्व की थी तथा उत्तरदाता की ओर से संपूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन कर उक्त जायदाद धन्नी देवी के पूर्ण हक व अधिकार की होने से खरीद की तथा नामातंरण भी धन्नी देवी के पति के देहांत के पश्चात् धन्नी देवी के नाम से भरा हुआ था। प्रतिवादी सं. 1 व 3 सद्भाविक क्रेता है तथा वादी की ओर से यह वाद झूठा पेश किया गया है। वादी की ओर से पृथक–पृथक विक्रयपत्रों के संबंध में पृथक–पृथक वाद प्रस्तुत नहीं कर एक ही वाद पेश किया तथा वाद में पक्षकारों का कुसंयोजन करते हुए वाद पेश किया है। प्रतिवादी धन्नीदेवी की पांच पुत्रियां हैं जो जीवित है जिन्हें पक्षकार बनाये बिना यह वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी की ओर से वाद में बंटवारा की राहत नहीं चाही गई है। इन परिस्थितियों में भी वादी का वाद पोषणीय न होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा वादी के कथनानुसार भी वादी का 1/2 हिस्सा होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वादी की ओर से धन्नी देवी के पक्ष में जारी नामान्तरण को चुनौती दिये बिना यह वाद पेश किया है तथा वादी समयावधि बाहर व क्षेत्राधिकारिता के बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं 1 व 3 की जानकारी के अनुसार धन्नीदेवी द्वारा वादी को कभी गोद नहीं लिया गया तथा प्रतिवादीगण सदभाविक क्रेता है। वादी न तो धन्नीदेवी का गोदपुत्र है तथा न ही कोई हक अधिकार है तथा वादी द्वारा विचित्र रूप से स्व. मंगाराम व धन्नीदेवी की पैतृक सम्पति में दत्तक पुत्र होने के आधार पर 1/2 हिस्से की मांग की गई पूर्णतया निराधार है। वादी का उक्त कथन असत्य है कि वादी की दत्तक ग्रहिता माता धन्नीदेवी ने प्रतिवादी हनुमानसिंह से मिलकर षड्यंत्र के तहत चुपके चुपके उक्त पैतृक कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा का तथाकथित बेचाननामा दिनांक 26.02.10 पंजीयन 30.04.10 फौरी तौर पर प्रतिवादी हनुमान सिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिया जो वादी के हक अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है। उत्तरदाता प्रतिवादी सं 1 व 3 सद्भाविक क्रेता है उनके द्वारा किसी प्रकार का षड्यंत्र किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा वादी स्वयं को उक्त विक्रय की पूर्ण जानकारी है। धन्नीदेवी को उक्त जायदाद विक्रय करने का पूर्ण हक अधिकार था तथा धन्नीदेवी के पति की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरण भी धन्नीदेवी के नाम से भरा गया तथा प्रतिवादी उत्तरदाता की जानकारी अनुसार न तो वादी धन्नीदेवी का गोदपुत्र है तथा धन्नीदेवी द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त कर उत्तरदाता प्रतिवादी के पक्ष में भूमि का विक्रय किया है। वादी द्वारा तथाकथित बेचाननामा वर्ष 1987 व वर्ष 2010 को चुनौती देते हुए वाद पेश किया है। उक्त बाद समयावधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा वादी द्वारा वाद में देरी के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया है। उक्त आधारों पर वादी का वाद खारिज जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वादी के वादपत्र का जवाब पेश कर कथन किया गया कि वादी मंगाराम व धन्नीदेवी का गोदपुत्र है। यह गलत है कि वादी जब 8 वर्ष का था तब वादी के जायंदा माता–पिता ने वादी को धन्नीदेवी व मंगाराम को गोद दे दिया हो तथा कोई गोद लेने व देने की रस्म दोनों भाईयों के शामलाती घर में हुई हो। यह भी गलत है कि तब से वादी धन्नीदेवी का गोद पुत्र हो। वादी ने कभी अपने आपको मंगाराम के गोद नहीं बताया। वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा जीवन बीमा का अभिकर्ता है वहां भी उसके घर का नाम मंगाराम दर्ज नहीं है, न स्कूल के रेकर्ड में उसके बाप का नाम मंगाराम दर्ज है न उसके बाप का नाम राशन कार्ड या मतदाता सूची में मंगाराम दर्ज है। जब धन्नी ने अपनी खातेदारी के खेतों का बेचाण दिनांक 13.01.1987 को प्रतिवादी सं.2 को किया तब वादी का जन्म ही नहीं हुआ इसलिए उस वक्त उसे गोद लिये जाने का प्रश्न ही नहीं था, न उस वक्त धन्नी के गोद था इसलिए उक्त भूमि में उसके अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं है। बेचाण किए हुए अब 28 वर्ष हो गए तथा वादी की उम्र करीब 25 वर्ष है अर्थात् वादी का जन्म ही बेचाण के वक्त नहीं हुआ था इसलिए इस भूमि से उसके अधिकार निहित हो गए, यह कहना गलत है व वाद मियाद बाहर है। भूमि ख.नं. 1825 व 1831 में से धन्नीदेवी का हिस्सा प्रतिवादी ने दिनांक 13.01.1987 को सद्भावी खरीददार की हैसियत से कीमत अदा कर प्राप्त किया जो सही है। अपने विशेष उज्र में प्रतिवादी ने यह अभिवचन किए है कि वाद दिनांक 13.01.1987 को बेचाणनामा को निरस्त करने के लिए किया है व कब्जा निरंतर जवाब देहन्दा का खुला व सभी की जानकारी में है, इसलिए दावा मियाद बाहर है। अंत में वादी का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये–

1. यह कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा करवाने का हकदार है कि वादपत्र के पैरा सं. 2, 3, 4 व 5 में वर्णित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 13.01.1987, दिनांक 26.02.2010, दिनांक 30.04.2010, दिनांक 29.04.2010 एवं दिनांक 30.04.2010 वादी के हक एवं अधिकार तक निष्प्रभावी व बेअसर है?

   –वादी

2. यह कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त संपत्ति में किसी प्रकार से दखल, हस्तक्षेप अथवा हस्तांतरण नहीं करें?

   –वादी

3. यह कि क्या वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा कर लिए जाने पर वादी पुनः उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है?

   –वादी

4. यह कि वादपत्र में बंटवारे व घोषणात्मक अनुतोष नहीं चाहे जाने के आधार पर क्या वाद पोषणीय नहीं होकर खारिज किए जाने योग्य है?

   –प्रतिवादीगण

5. यह कि वादपत्र अपर्याप्त न्यायशुल्क पर पेश किया गया है?
–प्रतिवादीगण

6. यह कि क्या वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है?
–प्रतिवादीगण

7. क्या वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य है?
–प्रतिवादीगण

8. क्या वादी का वाद परिसीमा द्वारा बाधित होने से खारिज किए जाने योग्य है?
–प्रतिवादीगण

9. अनुतोष?

6. वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.1 किशनलाल, पीडब्ल्यू–2 मदनलाल को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–1 बेचाणनामा राजकुमार, प्रदर्श–2 बेचाणनामा हबीब खां, प्रदर्श–3 बेचाणनामा खेती राजकुमार, प्रदर्श–4 चुनौतीग्रसत बेचाणनामा हनुमान सिंह, प्रदर्श–5, 6 व 7 खातेदारी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–8 धन्नीदेवी द्वारा गोदनामा निरस्त करने के वाद के निर्णय की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–9 डिक्री पर्चा, प्रदर्श–10 अपील कोर्ट के निर्णय की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–11 डिक्री पर्चा, प्रदर्श–12 गोदनामा को प्रदर्शित करवाया गया ।

7. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू.–1 हनुमान सिंह, डी.डबलयू.–2 हबीब खां को परीक्षित करवाया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1ए व प्रदर्श–2ए किशनलाल की वोटर लिस्ट को प्रदर्शित करवाया गया।

8. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्षों की सुनकर दिनांक 07.11.2019 को आक्षेपित निर्णय पारित कर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषित करने अवैध व शून्य पंजीकृत बेचाणनामे व स्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया व खर्चा पक्षकारान द्वारा अपना–अपना वहन करने का आदेश दिया गया, जिस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

9. अपील के आधारों में अपीलार्थी ने उल्लेखित किया है कि आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकॉर्ड एवं अभिकथनों की अनदेखी की है । वादी का वाद मात्र राजस्व भूमि से संबंधित विक्रय पत्रों को लेकर उन्हें प्रभाव शून्य घोषित करने के संबंध में ही नहीं था, अपितु आवासीय भूमि के संबंध में किए गए विक्रय पत्र को निरस्त फरमाने बाबत भी था, उसे वादी के हक–हकुकों पर प्रभाव शून्य घोषित कराने के संबंध में भी वादी का वाद था। विक्रय पत्र आबादी भूमि व इसमें निर्मित मकान वर्णित है, जिसको नजरअंदाज करने से भारी विधिक व ताथ्यिक त्रुटि हुई है। अपीलाधीन प्रकरण राजस्व भूमियों से संबंधित बेचाननामे व आवासीय भूमियों से संबंधित बेचाननामा को अवैध व शुन्य घोषित करवाने के संबंध में था। ऐसे प्रकरणों में सिविल न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता पूर्णतः विधिसंगत है। जहॉ गोद होने व न होने का प्रश्न निहित हो, वहां अपीलाधीन दावा मात्र सिविल कोर्ट के सुनवाई के योग्य था, जिस विधिक स्थिति को नहीं समझने में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा भारी विधिक त्रुटि की है। जब

दोनों ही प्रतिवादीगण साक्ष्य में पेश हुए और दोनों ने यह स्वीकार किया कि उनके पक्ष में लिखे बेचाननामों की जानकारी उन्होंने वादी को देना उचित नहीं समझा तथा इसके अतिरिक्त तथाकथित क्रेता राजकुमार तो साक्ष्य में पेश नहीं हुआ है और न ही धन्नीदेवी व उसकी पुत्रियां बतौर प्रतिवादी पक्षकार होने के बावजूद भी साक्ष्य में पेश हुई हैं, इसके बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वतः यह निष्कर्ष की कब्जा प्रतिवादी का है, इसका मतलब वादी को बेचाननामों का ज्ञान है, उपधारणा करने में भारी ताथ्यिक व विधिक त्रुटि की है। अंत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी/वादी का वाद सव्यय विरुद्ध प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया ।

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2019 पारित करने में भारी विधिक एवं ताथ्यिक त्रुटि की है व निर्णय विधि अनुसार पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र एवं अभिकथनों की पूर्णतः अनदेखी की गयी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य निर्णय व डिक्री अपास्त कर उसके पक्ष में डिक्री किए जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए–

1. Sohan Singh Vs Rajkudevi, S.B. Civil Revision Petition Nol 229/2023 Raj. HC, Jodhpur.
2. Narayan Singh Vs. Amraram & Ors. 17 April, 1992 Raj HC, Jaipur
3. Krishan Lal & Ors. Vs Raja Ram & Anr. 1997 DNJ (Raj.) 677
4. Hasti Cement Pvt. Ltd & Anr Vs Sandeep Charan & Ors. AIR 2018 Rajasthan 143

11. जबकि प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय/डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता व अशुद्धता नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए–

1. Pyarelal Vs Shubhendrda Pilania (Minor) Civil Appeal No. 1269 of 2019 In the Supreme Court of India.
2. Geeta Devi(Smt.) & Ors. Vs Pushap Chand & Ors. 2018(4) DNJ(Raj.) 1442

12. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया। संपूर्ण पत्रावली व विचारण न्यायालय के आलौच्य निर्णय तथा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तहत विरचित विवाद्यकों के संबंध में इस न्यायालय का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार से है–

13. **<u>विवाद्यक सं.1–</u>** विवाद्यक सं.1 को साबित करने का भार वादी पर था, जिसमें वादी को यह साबित करना था कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा करवाने का

हकदार है कि वादपत्र के पैरा सं.2, 3 एवं 5 में वर्णित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 13.01.1987, दिनांक 26.02.2010, दिनांक 30.04.2010, दिनांक 29.04.2010 एवं दिनांक 30.04.2010 वादी के हक एवं अधिकार तक निष्प्रभावी व बेअसर हैं । इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत मूल वादपत्र का अवलोकन किया जावे तो वादपत्र के पैरा सं.2 में वादी ने यह अभिवचन किया है कि स्वर्गीय मंगाराम व धन्नीदेवी की पैतृक संपत्तियों में एक आवासीय मकान मौहल्ला सिंघीबास में अवस्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादी किशनलाल व उसके दत्तकग्रहिता माता–पिता मंगाराम व धन्नीदेवी का है तथा शेष 1/2 हिस्सा मंगाराम के दूसरे भाई मालाराम है। यह आवासी मकान वादी का पैतृक पुश्तैनी है तथा दत्तकग्रहिता पिता स्वर्गीय मगाराम के देहावसान उपरान्त उसमें वादी व माता धन्नीदेवी का बराबर का हक हिस्सा अधिकार है, किन्तु इस पैतृक संपत्ति का धन्नीदेवी ने अवैध व शून्य तथाकथित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 29.04.2010, पंजीयन दिनांक 30.04.2010 का वादी के हक–हकूकों की परवाह किए बिना प्रतिवादी राजकुमार सांखला के पक्ष में फौरी तौर पर कर दिया है, जो वादी के हितों पर निष्प्रभावी व शून्य है। इसी प्रकार से वादपत्र के पैरा सं.3 में वादी ने यह अभिवचन किया है कि वादी किशनलाल की अन्य पैतृक पुश्तैनी संपत्तियों में कृषि भूमि खसरा नंबर 2257, 2258 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा में 1/2 खातेदारी दो भाइयों स्वर्गीय मगा व माला की थी, जिसमें 1/4 हिस्सा मगा व 1/4 हिस्सा माला का है, किन्तु वादी की दत्तकग्रहिता माता धन्नीदेवी ने प्रतिवादी हनुमानसिंह चौहान से मिलकर षड्यंत्र के तहत चुपके–चुपके उक्त पैतृक कृषि भूमि 1/4 हिस्सा का तथाकथित बेचाणनामा दिनांक 26.02.2010 पंजीयन तारीख 30.04.2010 फौरी तौर पर प्रतिवादी हनुमानसिंह के पक्ष में निष्पादित कर दिया, जो वादी के हक अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है, पैरा सं.4 में यह अंकित है कि कृषि भूमि खसरा नंबर 1825 व 1831 कुल रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा में 1/2 खातेदारी स्वर्गीय मगाराम के नाम की पैतृक कृषि भूमि है, जिसका फौरी तौर पर पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 13.01.1987 षड्यंत्र के तहत प्रतिवादी हबीब खां ने प्राप्त कर लिया तथा उस पर प्रतिवादी सं.5 एसबआई बैंक से उसने ऋण भी प्राप्त कर लिया एवं वादपत्र के पैरा सं.5 में यह अंकित किया है कि पैतृक कृषि भूमि खसरा नं.1756 रकबा 13.06 बीघा सरहद डीडवाना में अवस्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा मालाराराम का व 1/2 हिस्सा स्वर्गीय मंगाराम का था। यह पैतृक पुश्तैनी संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिसमें वादी किशनलाल व प्रतिवादी धन्नीदेवी का बराबर–बराबर का हक–हिस्सा है, किन्तु प्रतिवादीया ने वादी किशनलाल के हक–हकूकों व उत्तराधिकार अधिकारों की चिंता किए बिना चुपके–चुपके उक्त संपूर्ण 1/2 भाग का अविधिक व अनाधिकृत तौर पर एक फौरी बेचाणनामा दिनांक 29.04.2010 पंजीयन दिनांक 30.04.2010 द्वारा धन्नीदेवी बहक राजकुमार के करा दिया जो वादी के हक–हकूकों को व अधिकारों पर निष्प्रभावी व शून्य है तथा अवैध घोषित किये जाने योग्य है।

14. उपरोक्त अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि वादी किशनलाल ने उपरोक्त अचल संपत्तियों में अपना हिस्सा होना, स्वयं प्रतिवादीया धन्नीदेवी व स्वर्गीय मंगाराम का दत्तकपुत्र होने से, बताया है। वादी किशनलाल ने अपनी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष बतौर साक्षी पी.डब्ल्यू.1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य के दौरान भी वादपत्र के

तथ्यों की ताईद की है तथा स्वयं को प्रतिवादीया धन्नीदेवी व उसके पति स्वर्गीय मंगाराम का गोदपुत्र होना बताया है। वादी की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान गोदनामा प्रदर्श.12 के रुप में प्रदर्शित करवाया गया है, जो दिनांक 23.04.2008 को उपपंजीयक, डीडवाना से पंजीकृत दस्तावेज हैं, जिसके अनुसार प्रथम पक्ष श्रीमती धन्नीदेवी द्वारा द्वितीय पक्ष किशनलाल के पक्ष में उक्त गोदनामा पंजीकृत करवाया गया है, जिसमें यह अंकित है कि प्रथम पक्ष का विवाह मघाराम के साथ होना, जिनसे उसे पांच लड़कियां व एक लड़का होना, जो लड़का मानसिक रूप से ठीक नहीं होने व बीमारी से ग्रसित होने से उसके द्वारा वंश चलाने की गुंजाइश नहीं होने के कारण उसके पति मघाराम के जीवनकाल में ही संमाज के व्यक्तियों व परिवारवालों की समझाईश व सहमति से मघाराम के छोटे भाई मालाराम के तीन पुत्रों में से एक पुत्र किशनलाल को आठ वर्ष की उम्र में, मालाराम व उसकी पत्नी की सहमति से गोद ले लेने तथा उक्त गोदनामा प्रतिवादीया धन्नीदेवी द्वारा दिनांक 23.04.2008 को पंजीकृत करवाया जाना दर्शित होता है, जिसका अस्तित्व में होना प्रमाणित है। इस प्रकार से वादी प्रतिवादीया धन्नीदेवी व उसके पति मंगाराम का गोदपुत्र होना उक्त पंजीकृत दस्तावेज प्रदर्श.12 के अवलोकन से दर्शित होता है तथा उक्त गोदनामा प्रदर्श–12 आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

15. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गोदनामा को निरस्त करवाने हेतु किशनलाल के विरुद्ध धन्नीदेवी ने सिविल न्यायाधीश, डीडवाना के न्यायालय में वाद पेश किया था, जो वाद दिनांक 17.07.2009 को सिविल न्यायाधीश, डीडवाना द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना के न्यायालय में धन्नीदेवी द्वारा की गई, जो अपील भी दिनांक 18.02.2010 को अपर जिला न्यायाधीश, डीडवाना द्वारा खारिज कर दी गई एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गई है उक्त न्यायालयों के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों को वादी ने साक्ष्य के दौरान पेश कर प्रदर्श.8 से 11 के रूप में प्रदर्शित करवाये हैं । तत्पश्चात् धन्नीदेवी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रथम सिविल अपील पेश की गई, जो भी खारिज हो जाना एवं वर्तमान में द्वितीय अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन होना बताया गया है, जिससे स्पष्ट कि वादी किशनलाल के पक्ष में प्रतिवादीया धन्नीदेवी द्वारा करवाया गया पंजीकृत गोदनामा आज दिन तक अस्तित्व में है और जब तक उक्त पंजीकृत गोदनामा अस्तित्व में है, प्रतिवादी धन्नीदेवी व उसके पति मंगाराम की पुश्तैनी संपत्तियों में वादी किशनलाल का बतौर दत्तक पुत्र हक–हिस्सा होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्वयं विद्वान विचारण न्यायालय ने भी यह माना है कि जब तक कि उक्त गोदनामा सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य अथवा अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय के पास उक्त पंजीकृत दस्तावेज पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है तथा वादी गोदनामा प्रदर्श.12 के आधार पर धन्नीदेवी का दत्तक पुत्र होना प्रमाणित होता है और ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय ने ऐसी स्थिति में धन्नीदेवी व मंगाराम की संपत्ति में स्वाभाविक रूप से वादी/अपीलार्थी का हक व अधिकार होना माना है, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने खेत की खतौनियों में वादी का नाम नहीं होने एवं इस बाबत वादी का कोई दावा नहीं होने का विवेचन करते हुये जब तक वादी सक्षम राजस्व न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवा लेता तब तक वह

इस न्यायालय से किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होना माना है एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा के पश्चात् ही उक्त बेचाननामों को निरस्त करवाने का अधिकारी माना है, जो कि विधिक रूप से सही दर्शित नहीं होता है, क्योंकि स्वयं विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी को प्रतिवादीया धन्नीदेवी व मंगाराम का विधिक रूप से गोदपुत्र होना माना है एवं गोदपुत्र होने से धन्नीदेवी व मंगाराम की संपत्ति में स्वाभाविक रूप से वादी का हक व अधिकार माना है, तो ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी के हक हकुक को सुरक्षित रखने के लिए उक्त बेचाननामों को निरस्त करवाने हेतु वादी को प्रथमतः खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना आवश्यक नहीं है।

16. वादी ने हस्तगत वाद विचारण न्यायालय में घोषित कराने अवैध व शून्य पंजीकृत बेचाणनामें व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावे में किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवारे आदि का दावा पेश नहीं किया, बल्कि वादगत संपत्ति में उसका बतौर गोदपुत्र धन्नीदेवी व मंगाराम के समान हक–हिस्सा होने से तथा धन्नीदेवी द्वारा वादी की सहमति या जानकारी के बिना उक्त संपत्तियों का विक्रय किया गया है, जो कि वादी के हक–अधिकारों के विपरीत होने से वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा करवाने का हकदार है कि वादपत्र के पैरा सं.2, 3, 4 व 5 में वर्णित पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 13.01.1987, दिनांक 26.02.2010, दिनांक 30.04.2010 व दिनांक 29.04.2010 एवं दिनांक 30.04.2010 वादी के हक एवं अधिकार तक निष्प्रभावी व बेअसर है। इसलिए विवाद्यक सं.1 को वादी/अपीलार्थी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष अपास्त किया जाता है ।

17. **<u>विवाद्यक सं.2 व 3–</u>** उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार वादी पर है । विवाद्यक सं.2 में वादी को यह साबित करना था कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त संपत्ति में किसी प्रकार से दखल, हस्तक्षेप अथवा हस्तानान्तरण नहीं करे एवं विवाद्यक सं.3 में वादी को यह साबित करना है कि वाद के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा कर लिए जाने पर वादी पुनः उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों विवाद्यक वादी के विरुद्ध तय किये हैं, लेकिन विवाद्यक सं.1 के उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि वादी ने अपने दावे में किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवारे आदि का दावा पेश नहीं किया तथा वादगत संपत्ति में उसका बतौर गोदपुत्र धन्नीदेवी व मंगाराम का समान रूप से हक–हिस्सा होने से तथा धन्नीदेवी द्वारा वादी की सहमति या जानकारी के बिना उक्त संपत्तियों का विक्रय किया गया है, जो कि वादी के हक–अधिकारों के विपरीत है। जब तक धन्नीदेवी द्वारा वादी किशनलाल के पक्ष में किए किए पंजीकृत गोदनामा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक वादगत संपत्तियों में वादी का हक–हिस्सा है और उसको उक्त हक–हिस्से से महरूम(वंचित) रखकर उक्त संपत्तियों का आगे विक्रय किया जाता है, तो इससे वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि दस्तावेज को निरस्त नहीं किया गया तो उसका अस्तित्व बना रहेगा तथा वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा जो उसे क्षति कारित करेगा। इसलिए विवाद्यक सं.2

व 3 को वादी/अपीलार्थी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष अपास्त किया जाता है ।

18. **विवाद्यक सं.4–** इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, जिसमें प्रतिवादीगण को यह साबित करना है कि वादपत्र में बंटवारे व घोषणात्मक अनुतोष नहीं चाहे जाने के आधार पर वाद पोषणीय नहीं है । विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक को प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरुद्ध निर्णीत की है, जो विधिक रूप से सही दर्शित नहीं होता है, क्योंकि वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष घोषित कराने अवैध व शून्य पंजीकृत बेचाननामे व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया था, जिसका मुख्य आधार यह है कि वह प्रतिवादीया धन्नीदेवी व मंगाराम का गोदपुत्र है और इस संबंध में प्रतिवादीया धन्नीदेवी ने वादी किशनलाल के पक्ष में दिनांक 23.04.2008 को एक पंजीकृत गोदनामा भी निष्पादित करवाया है, जो गोदनामा आज दिन तक अस्तित्व में है तथा अभी तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त गोदनामा को निरस्त नहीं किया गया है, इसलिये वादी किशनलाल प्रतिवादिया धन्नीदेवी व उसके पति मंगाराम का पंजीकृत गोदपुत्र होने से वादगत संपत्तियों में वादी किशनलाल का हक–हिस्सा है और प्रतिवादीया धन्नीदेवी द्वारा शून्यकरणीय विक्रयपत्र, वादी किशनलाल की जानकारी व उसको बताये बिना करवाये गये हैं, उनको निरस्त करवाने व विवादित संपत्ति के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारण न्यायालय में वाद पेश किया है, जो वाद पूर्णतया पोषणीय है। अतः विवाद्यक सं.4 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष अपास्त किया जाता है।

19. **विवाद्यक सं.5 व 6–** उक्त दोनों विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, जिनमें प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वादपत्र अपर्याप्त न्यायशुल्क पर पेश किया गया है व वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है । वादी ने हस्तगत वाद घोषित कराने अवैध व शून्य पंजीकृत बेचाननामे व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया था। वादी ने अपने वादपत्र के पैरा सं.9 में यह अंकित किया है कि न्यायालय शुल्क व क्षेत्राधिकार के प्रयोजन से वाद का मूल्यांकन धारा 7(2) सपठित धारा 24 ई राजस्थान न्यायालय शुल्क एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के तहत चुनौतीग्रस्त बेचान बाबत खसरा नंबर 2257, 2258 का लगान 3.10 रुपये तथा खसरा नंबर 1825, 1831 का लगान 13 रुपये तथा खसरा नंबर 1756 का लगान 6 रुपये, कुल लगान 22.10 रुपये का 25 गुणा राउण्ड ऑफ में 560 रुपये तथा आवासीय मकान बाबत चुनौतीग्रस्त बेचान को अवैध घोषित कराने बाबत रुपये 10,000/– निर्धारित किये जाते हैं, कुल मूल्यांकन 10560/–रुपये है, जिस पर न्यायालय शुल्क मुद्रांक रुपये 270/– के पेश किये गये हैं, जो पर्याप्त न्यायालय शूल्क पर पेश किया जाना दर्शित होता है। वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त वाद घोषित कराने अवैध व शून्य पंजीकृत बेचाननामे व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया है, जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार पूर्णतया (दीवानी न्यायालय) विचारण न्यायालय को होना दर्शित होता है। अतः उक्त दोनों विवाद्यक प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एवं वादी/अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किय जाते हैं। इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दोनों विवाद्यक पर दिये गये निष्कर्ष की

पुष्टि की जाती है।

20. **<u>विवाद्यक सं.7</u>–** इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसमें प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र घोषित कराने अवैध व शून्य पंजीकृत बेचाननामे एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् है। वादी ने उक्त वाद के तहत किसी प्रकार के बंटवारे या घोषणा की मांग नहीं की है। वादगत संपत्ति में वादी ने प्रतिवादिया धन्नी देवी और उसके पति मंगाराम के गोदपुत्र के रूप में होना बताया है और इस संबंध में पंजीकृत गोदनामा पेश किया है तथा वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त गोदनामा आज दिन तक अस्तित्व में है। चूंकि वादी ने किसी प्रकार के बंटवारे का वाद पेश नहीं किया है तथा न ही उक्त विवादित संपत्ति में अपना हिस्सा तय करने या घोषणा की मांग की है तथा न ही प्रतिवादिया धन्नी देवी के अन्य पुत्रियों के हिस्से का खुलासा किया है। इसलिए यदि वादी ने उक्त वाद में प्रतिवादिया धन्नी देवी की अन्य पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि वादी का उक्त वाद किसी प्रकार से पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित होने से खारिज किए जाने योग्य है। दौराने वाद विचारण श्रीमती धन्नी देवी की मृत्यु हो जाने से उसकी सभी पुत्रियों को विधिक वारिसान के रूप में पक्षकार के समान 4/1 लगायत 4/4 के रूप में जोड़ा गया था, इसलिए प्रतिवावदीगण का यह तर्क/आपत्ति स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। इसलिए विवाद्यक संख्या 7 प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध और वादी/अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है।

21. **<u>विवाद्यक सं. 8</u>:–** इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जिसमें प्रतिवादीगण को यह साबित करना है कि वादी का वाद परिसीमा द्वारा बाधित होने से खारिज किए जाने योग्य है। इस संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क रहा है कि वादी किशनलाल ने कथित बेचाननामा 13.01.1987, 30.04.2010 को शून्य घोषित करवाने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.01.2015 को हस्तगत वाद काफी विलंब से पेश किया है, इसलिए वादी का वाद परिसीमा द्वारा बाधित होने से खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने इसका विरोध करते हुए वादी का वाद परिसीमा अवधि में पेश होने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किए जाने का निवेदन किया।

22. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वादपत्र के अभिवचनों में उल्लेखित किया है कि वादगत चारों बेचाननामे फौरी तौर पर चुपके–चुपके बिना वादी की जानकारी के करवाए गए हैं तथा वादी को उक्त बेचाननामों की जानकारी माह दिसंबर, 2014 में होने पर उसके द्वारा जनवरी, 2015 में उक्त बेचाननामों को शून्य घोषित करवाने हेतु हस्तगत वाद पेश किया गया था। वादी को उक्त बेचाननामों की दिसंबर, 2014 से पूर्व किसी प्रकार की जानकारी रही हो, इस बारे में प्रतिवादीगण द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित नहीं करवायी गयी है, जबकि दौराने वाद धन्नी देवी जीवित थी लेकिन उसे साक्ष्य में पेश नहीं किया गया, न ही कथित

क्रेता राजकुमार को साक्ष्य में पेश किया है। दिसंबर, 2014 में वादी को जानकारी होने ही उसने उक्त वाद पेश कर दिया था। इसलिए उक्त विवाद्यक सं. 8 प्रतिवादीगण के विरुद्ध व वादी/अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है और इस संबंध में विद्वान विचारण द्वारा दिए गए निष्कर्ष को अपास्त किया जाता है तथा वादी का वाद परिसीमा अवधि में पेश किया जाना पाया जाता है।

23. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं, जिससे प्रत्यर्थी पक्ष को कोई लाभ प्राप्त होना दर्शित नहीं होता है।

24. **अनुतोष**– उपरोक्त विवाद्यकों के समग्र विवेचनानुसार वादी/अपीलार्थी अपने जिम्मे महत्वपूर्ण विवाद्यकों को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है और इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों की भूल से ग्रसित होने से अपास्त किए जाने योग्य होने से वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि वह पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से पुनः विवेचन एवं विश्लेषण कर विधि अनुसार निर्णय पारित करे।

– आदेश –

25. अतः अपीलार्थी किशनलाल की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण हनुमान सिंह वगैरह एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दीवानी मूल प्रकरण संख्या 41/2017(02/2015) बउनवान किशनलाल बनाम हनुमान सिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2019 को अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण कर विधि अनुसार निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय की तलविदा पत्रावली लौटाई जावें। प्रकरण वर्ष 2015 से लंबित है इसलिए प्रकरण पुनः नंबर पर दर्ज कर शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए जाते हैं।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना

26. निर्णय व आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना